न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–153/11 (आरसीएमएस नं. 2011/00018)

01. नाथू सिंह पुत्र स्व. श्री अमर सिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

01. रघुवीर सिंह पुत्र स्व. श्री अमर सिंह,
02. श्रीमती तोप कंवर पुत्री स्व. श्री अमर सिंह,
03. श्रीमती प्रेम कंवर पत्नी स्व. श्री मदनसिंह,
04. सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री मदनसिंह,
05. अर्जुन सिंह पुत्र स्व. श्री मदनसिंह,
06. नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री मदनसिंह,
07. अन्तर कंवर पुत्री स्व. श्री मदनसिंह,
08. संतोष कंवर पुत्री स्व. श्री मदनसिंह,
09. आशा कंवर पुत्री स्व. श्री मदनसिंह,
10. भवानी सिंह पुत्र स्व. श्री सबल सिंह, समस्त जाति राजपूंत निवासीयान ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
11. शक्ति सिंह शेखावत पुत्र स्व. श्रीमती सायर कंवर, जाति राजपूत निवासी मकान नम्बर 239, जसवन्त नगर, खातीपुरा, जयपुर।
12. श्रीमती निरज कंवर पत्नी स्व. श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत पुत्रवधु स्व. श्रीमती सायर कंवर, जाति राजपूत निवासी मकान नम्बर 696 गणेश नगर मैन, निवारू रोड़, जयपुर।
13. कमल कंवर उर्फ कमलेश कंवर पुत्री स्व. श्रीमती सायर कंवर पत्नी श्री कुन्दन सिंह, जाति राजपूत निवासी मकान नम्बर 66 बी, विनायक विहार "डी" रावण गेट, कालवाड़, रोड़, जयपुर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 03.12.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 06.12.2010 (प्रकरण संख्या 14/2008) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम हरवंशपुरा उर्फ रामगट्टा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 28 रकबा 0.03 हैक्टयर गैर मुमकिन चाह, खसरा नम्बर 29 रकबा 3.27 हैक्टयर चाही तृतीय कुल किता 2 कुल रकबा 3.30 हैक्टयर अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 13 की ममलूका मकबुजा पुश्तैनी आराजीयात है जो अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पिता तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 के ससुर व प्रत्यर्थी संख्या 4 लगायत 9 के दादा व प्रत्यर्थी संख्या 11 लगायत 13 के नाना अमर सिंह उक्त आराजीयात के काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार थे। उन्होने आगे कथन किया है कि अमर सिंह

P.T.O.

वादग्रस्त आराजीयात के काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार रहे है, अमर सिंह जी के जीवनकाल में ही श्रीमती सोहन कंवर का देहान्त हो गया था तथा उसके पश्चात् सन् 1957 में अमरसिंह जी की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात् परिवार में कर्ता खानदान श्रीमती समदर कंवर ही थी, इसलिये श्रीमती समदर कंवर ने स्व. अमरसिंह की विरासत का नामान्तरकरण अपने अकेले के नाम से खुलवा लिया तथा श्रीमती समदर कंवर पत्नी स्व. श्री अमर सिंह के देहान्त के पश्चात् विरासत का नामान्तरकरण संख्या 44 दिनांक 20.05.2008 उनके उत्तराधिकारी नाथूसिंह, भवानी सिंह, रघुवीर सिंह पुत्र स्व. श्री अमर सिंह तोप कंवर पुत्री स्व. श्री अमरसिंह, सुरेन्द्र सिंह, अर्जुन सिंह, नरेन्द्र सिंह पुत्रान मदन सिंह अन्तर कंवर संतोष कंवर, आशा कंवर पुत्री स्व. श्री मदन सिंह, श्रीमती प्रेम कंवर पत्नी श्री मदन सिंह के नाम खुलवाया गया जबकि उक्त नामान्तरकरण सायर कंवर पुत्री बदन कंवर के नाम से भी खोला जाना चाहिये था व भवानी सिंह स्व. श्री सबल सिंह जी के गोद चला गया था तथा उनकी सम्पत्ति का मालिक वारिस उत्तराधिकारी हो गया था व आज भी है इसलिये भवानी सिंह का उक्त वादग्रस्त भूमि स्व. श्री अमर सिंह की सम्पत्ति में काई किसी भी प्रकार का हक हकूक अधिकार नही था व ना ही है जिससे जाहिर है कि उक्त विरासत का नामान्तरकरण गलत रूप से मिली भगत कर खुलवाया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी नाथू सिंह व प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का आराजीयात में 1/5 हिस्सा का नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिये था तथा सायर कंवर के वारिस शक्ति सिंह श्रीमती निरज कंवर, श्रीमती कमल कंवर प्रत्यर्थी संख्या 11 लगायत 13 का सम्मिलित रूप से 1/5 हिस्सा का नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिये था तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 9 का मिलाकर 1/5 हिस्सा का नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिये था जिस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना गौर किये ही विधि विधान एवं पत्रावली के विरूद्ध व कानून के स्थापित सिद्धान्तों और आज्ञात्मक प्रावधानों के विरूद्ध एवं उनकी अवहेलना करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी की फर्जी तरीके से हुई चश्पांगी से तामिल को तामिल मानकर दिनांक 18.08.2008 को अपीलार्थी की अनुपस्थिति दर्ज कर भारी भूल कारित की है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने चश्पांगी से तामील की कोई किसी भी रूप में आज्ञा पारित नही की है जबकि तामील कुलीन्दा कभी भी अपीलार्थी के पास अपील के नोटिस लेकर नही गया तथा तामिल कुलीन्दा ने रेस्पोडेन्ट्स से मिली भगत कर अपीलार्थी की तामील के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष झूठी व फर्जी रिपोर्ट पेश की है जो कि विधि सम्मत तामील नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर न दिया जाकर भारी भूल कारित की गई है जबकि विधि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार दोनों पक्षों को

संभागीय आयुक्त अजमेर

सुनवाई का उचित अवसर दिया जाकर व सुना जाकर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना दिये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील का निर्णय करने से पूर्व अपील के साथ प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के का निर्णय करना आज्ञापक था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रार्थना पत्र का निर्णय किये ही अपील का निर्णय पारित कर दिया तथा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निर्णय आज तक नही किया गया जबकि प्रार्थना पत्र धारा 5 अधिनियम के निर्णय किये बिना अपील का अन्तिम रूप से विधि अनुसार निस्तारण नही किया जा सकता तथा अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध अपील का अन्तिम रूप से निस्तारण करके भारी भूल कारित की है इसिलये भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 5 व 9 द्वारा उक्त आराजीयात को लेकर न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मुख्यालय जयपुर के समक्ष दिनांक 25.03.2009 को वाद बाबत घोषणा, इद्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी सुरेन्द्र सिंह व अन्य बनाम रघुवीर व अन्य वाद संख्या 53/2009 मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 47/2009 प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुऐ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार अपील का निस्तारण नही किया जा सकता था बल्कि ऐसे में विचाराधीन वाद के निस्तारण तक नामान्तरकरण की कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगित कर देनी चाहिये थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुए विधि विरूद्ध अपील का निस्तारण कर भारी भूल कारित की है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय अपास्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट समुचित रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जयपुर दिनांक 06.12.2010 अपास्त किया जाकर तहसीलदार आमेर द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 64 दिनांक 08.03.2011 व नामान्तरकरण संख्या 44 दिनांक 20.05.2008 खारिज किया जाकर विवादग्रस्त आराजीयात का नामान्तरकरण अपीलार्थी के हक में 1/5 हिस्से का तहसीलदार आमेर को तस्दीक किये जाने के आदेश न्यायहित मे पारित किये जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 01.12.2010 को पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 06.12.11 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की तामील हेतु नियत की गई जिसमें दुर्गाकाबास बाद में जोड़ा जाना प्रतीत होता है तथा पत्रावली नियत दिनांक 06.12.11 से पूर्व ही दिनांक 06.12.10 को ही दुर्गाका बास प्रशासन गांवों के संग शिविर में पेशी पर ली जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जबकि पत्रावली शिविर में पेश होने सम्बन्धी किसी प्रकार की सूचना पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही दी गई तथा पत्रावली रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की तलबी में ही विचाराधीन चल रही थी उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.12.2010 पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्ता विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.12.2010 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।